

## आदेश

तहसीलदार चिड़ावा द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाकर घोषणा इस आशय की फरमाई जाती है कि ग्राम ओजटू तहसील चिड़ावा में स्थित पुराने भूमि खसरा नम्बर 334 रकबा 34 बीघा 9 बिश्वा के हाल भूमि खसरा नम्बर 334/1 रकबा 4 बीघा, खसरा नम्बर 334/2 रकबा 30 बीघा 9 बिश्वा भूमि के राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 13 का नाम हजफ किया जाकर उक्त भूमि का राजकीय भूमि घोषित की जाती है तथा तहसीलदार चिड़ावा को आदेशित किया जाता है कि राज्यहितो का अवलोकन करते हुए नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। पर्चा डिकी जारी हों।

(डा० चोरेण मोदि)  
उपखण्ड अधिकारी  
चिड़ावा जिला झुन्डुनू (राज.)

निर्णय आज दिनांक 21/11/2015 को पृथक से टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डा० सुरेश सोनी)  
उपखण्ड अधिकारी  
चिड़ावा जिला झुन्डुनू (राज.)